प्राप्त करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम को बाजार अभिविन्यास का रूप दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के अलावा केन्द्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई राजकोषीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

(घ) से (च) विश्व बैंक की साख लाइन और अन्य विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के अंतर्गत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से वित्तीय सहायता के द्वारा पवन विद्युत का विकास बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र में होने की उम्मीद है। 78 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि की विश्व बैंक साख लाइन में डैनिश सरकार द्वारा सह-वित्त पोषण भी शामिल है और यह लगभग 85 मेवा. की निजी क्षेत्र क्षमता की स्थापना के लिए है। विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से सीधे ही निजी निवेश की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में 105 मेवा. और गुजरात में 100 मेवा. की दो संयुक्त उद्यम परियोजनाओं पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

Financial Parameters for privatisation of Wind and Solar Power Generation

3205. SHRI SANJAY DALMIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Electricity (Supply) Act, 1948 stipulates a minimum rate of return of 5 per cent over the RBI rates for investments made in Gas and Coal based power generation projects (Scheme);

(b) if so, whether, in view of Government's open mindedness for privatisation, it would extend the same stipulated financial parameters made in Wind and Solar generation schemes also, to attract private parties to negotiate with State Electricity Boards to tap India's vast potential for power generation and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The Electricity Supply Act provides for two types of entities (i) Licensees who are given license for supply of electricity in a specified area. They may or may not have their own generating capacity; (ii) Generating Companies who can set up power plants and sell bulk power to the State Electricity Board Grid or other consumers as approved by the competent Government. For Licensees the rate of return provided in the VIth Schedule of Electricity Supply Act is 5 per cent above the RBI rate. For Generating Companies the tariff notification issued by the Government of India on 31-3-92 (amended on 19.1.94) provides a return on equity of 16 per cent as an element of fixed cost of the tariff at 68.5 per cent PLF. For generation above this level, an incentive upto 0.7 per cent ROE for each 1 per cent rise in PLF can also be given.

(b) and (c). Capacity utilisation parameters are different for non-conventional energy based power projects, which are site specific. A market orientation is being given to these programmes to secure maximum private sector participation, in addition to the incentives already provided by the Centre, where applicable, other attractive fiscal and promotional incentives including wheeling, banking third party sale and a minimum buy back rate have also been suggested to the States to encourage private investment. Several incentives from the Centre and certain States are already available for non-conventional energy projects

सोलर फोटो-वोल्टेज प्रणाली का विकास

3207. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में फोटोवोल्टेक प्रणाली के विकास के संबंध में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यह प्रणाली बहुत खर्चीली है;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के प्रतिवेदन में भी यह उल्लेख किया गया है कि यह प्रणाली बहुत महंगी है;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रणाली को देश में व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार द्वारा राज सहायता दी जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो यह राशि पिछले वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन कितनी थी, और

(च) प्रणाली को सस्ता बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) हाल ही के वर्षों में देश में विभिन्न अनुक्रमों के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

(ख) और (ग) पारम्परिक विकल्पों की तुलना में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के पूंजीगत लागत अधिक है। तथापि, इन प्रणालियों के प्रचालन एवं रखरखाव की आवर्ति लागत काफी कम है। इन प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन की खपत नहीं होती। विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की उच्च लागत का उल्लेख किया है।

(घ) सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अधीन दो अलग योजनाएं अर्थात, समाजोन्मुख योजना तथा बाजारोन्मुख योजना शुरू की गई है। समाजोन्मुख योजना मुख्यतया कठिन और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में कतिपय श्रेणी के लाभार्थियों के लिए है। इस योजना में प्रणालियों के लिए कार्यस्थल पर लागत के 50% की केन्द्रीय राज सहायता देने की व्यवस्था है। तथापि सौर लालटेन के लिए राज सहायता 2000/– रुपये प्रति लालटेन नियत की गई है। बाजारोन्मुख योजना के अधीन व्यक्तियों और वाणिज्यिक संगठनों को सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों खरीदने के लिए उदार ऋण सहायता उपलब्ध है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :–

1990–91 – 6 02 करोड़ रुपए

1991–92 – 8 39 करोड़ रुपए

1992–93 – 7.77 करोड़ रुपए

1993–94 –

(15.3.1994 की स्थिति)– 11.14 करोड़ रुपए

(च) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की लागत कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में समाजोन्मुख एवं बाजारोन्मुख योजनाओं के माध्यम से सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के वाणिज्यिक रूप को तेज करना, सौर प्रकाशवोल्टीय सेलो, मॉडयूलों और प्रणालियों की किस्म में सुधार और उनकी लागत में कमी लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को प्रोत्साहित करना, शामिल है। इसके अतिरिक्त, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के विनिर्माण एवं प्रयोग के लिए विभिन्न राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।